भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2189

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु

2189 श्री राघव चड्ढा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की है या नहीं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : जी नहीं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान(114वां संशोधन) विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष तक बढाने के लिए 2010 में पुरःस्थापित किया गया था । तथापि, संसद में उस पर कोई विचार नहीं किया जा सका और यह 15वीं लोक सभा के विघटन के साथ व्यपगत हो गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु को बढाने के प्रस्ताव की सिफारिश विधि आयोग ने अपनी 58वीं रिपोर्ट द्वारा की थी। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु बढाने का उल्लेख विधि आयोग की 232वीं रिपोर्ट में भी मिलता है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालयों में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षणों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों पर नियम और विनियम बनाती है । भारत सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में सेवानिवृति की आयु निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है ।

****